फाइल सं. ए.12018/61/2017-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में फिटर इलेक्ट्रीशियन (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में फिटर इलेक्ट्रीशियन (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 02/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 02/12/22

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र के भाग-II,खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 31 मार्च, 1986 को प्रकाशित क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर -बांकुरा,पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम,1985 और जहां तक फिटर-इलेक्ट्रीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर -बांकुरा,पश्चिम बंगाल में फिटर-इलेक्ट्रीशियन के पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर -बांकुरा,पश्चिम बंगाल, फिटर-इलेक्ट्रीशियन, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।
   (2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण और वेतनमान- उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करन अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
फिटर इलेक्ट्रीशियन ।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 2 (19900-63200 रु) ।	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच* * यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	1. मान्यताप्रापत बोर्ड से उच्चतर मायमिक। 2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित फीटर/इलेक्ट्रीशिचन ट्रेड की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 3. फिटर या इलेक्ट्रीशियन के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।

					टिप्पणी 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा 100% टिप्पण: प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी परिस्थितिवश एक वर्ष या इससे अधिक समय के लिए पदधारी के न रहने की स्थिति में रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे कार्मिकों में से भरा जायेगा, जो - (क) नियमित आधार पर स्तर-II वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित करते हों, और (ख) स्तंभ संख्या 7 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: : 1. निदेशक, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक/ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. ए. 12018/61/2019- कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार